न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/170

मिसल नम्बर– 22 / 2025

1.श्रीमती गंगा बाई पत्नी स्व0 श्री नेमीचन्द आयु 70 वर्ष निवासी– सरस डेयरी के सामने, टावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.धर्वेश मालवी आयु 23 वर्ष पुत्र स्व0 सागर मालवी
2.लक्ष्मी आयु 25 वर्ष पत्नी धर्वेश मालवी निवासीगण सरस डेयरी के सामने, टावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थिति:–

1.श्री नंदसिंह राजावत प्रार्थीया अधिवक्ता
2.श्री जितेन्द्र सिंह हाड़ा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कोटा शहर के वृद्ध सीनियर सिटीजन व शान्ति प्रिय महिला है। प्रार्थीया की उम्र 70 वर्ष व बीमारी से ग्रस्त महिला है। प्रार्थीया के दो पुत्र व चार लड़किया है तथा पुत्रों और चारों लड़कियो की शादी कर दी गई है और चारो बेटियाँ अपने ससुराल में रहती है। प्रार्थीया के पुत्र सागर ने सरस डेयरी के सामने, टावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा में एक मकान खरीद किया था जिसकी लिखा पढ़ी सागर के नाम पर है। उक्त मकान खरीद करने में प्रार्थीया ने सागर की आर्थिक मदद की थी। प्रार्थीया के पति का देहान्त वर्ष 2002 में हो गया था और पुत्र सागर का देहान्त 18.10.2024 में हो गया है । प्रार्थीया के पोते धर्वेश मालवी आयु 23 वर्ष पुत्र स्व0 सागर मालवी ने धर्वेश मालवी आयु 23 वर्ष पुत्र स्व0 सागर मालवी से परिवार को बिना बताये प्रेम विवाह किया है। तथा जबरदस्ती उनके साथ निवास करने आ गये। धर्वेश नशे का आदी है और आये दिन अपने पिता एवं प्रार्थीया के साथ आये दिन मारपीट करतें थे तथा लक्ष्मी ने कई बार अपने ससुर सागर को नीचा दिखाने व दबाव बनाने की गरज के उसके खिलाफ छेड़ छाड़ के झूठे आरोप लगाये गये। इन दोनो के द्वारा प्रार्थीया और सागर को मानसिक व शारीरिक रूप प्रताडित किया गया। इन दोनो के दुरव्यहार के कारण सागर ने अपने जीवन काल में अपने बेटे धर्वेश और बहु लक्ष्मी को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। दोनो तीन वर्ष तक किराये के मकान में निवास करते रहें। उक्त मकान की वसीयत अपनी माँ प्रार्थीया के नाम पर करायी । प्रार्थीया ने अपने बेटे सागर को समझा कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उसकी मृत्यु से 3 माह पूर्व दोनो को वापस घर पर बुला लिया था। प्रार्थीया के पुत्र सागर का एक मकान सुभाष नगर कोटा में स्थित है। जिसको सागर ने अपने जीवनकाल में धर्वेश को निवास करने को दिया था लेकिन धर्वेश उक्त मकान में नही रह कर प्रार्थीया को परेशान व मकान को बेचने की गरज से प्रार्थीया के स्वामित्य वाले मकान में जबरदस्ती रहता है। धर्वेश प्रार्थीया की गैर मौजुदगी में प्रार्थीया का सामान बेच देता है। प्रार्थीया के दो कूलर भी धर्वेश ने बेच दिये है। प्रार्थीया के पुत्र सागर की मृत्यु पर धर्वेश ने अपने पिता के कियाकर्म रस्म नही निभाई और न ही अस्थियों का विर्सजन करने हरिद्वार गया। प्रार्थीया ने अपने गहने बेच कर अपने पुत्र सागर का अन्तिम संस्कार एवं सम्पूर्ण रस्में निभाई गयी और हरिद्वार पर प्रार्थीया ही अस्थि विर्सजन करने गई। ताकि अपने पुत्र सागर को मोक्ष प्राप्त हो सकें। दोनो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीया के बेटियो को अपने भाई का 12 दिन भी नही करने दिये और उनको जबरदस्ती लडाई झगड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया है। प्रतिपक्षीगण की लालसा उक्त मकान को बेचने की प्रारम्भ से ही रही है और पिता की मुत्यु के बाद दोनो प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया पर मकान बेचने का दवाब बनाने लगे लेकिन प्रार्थीया ने मकान बेचने से इंकार कर दिया जिस कारण से दोनो अभियुक्त प्रार्थीया के साथ मारपीट करतें है और खाना नही देतें है। प्रार्थीया के कमरे की लाईट बन्द कर दी है, जिसके कारण प्रार्थीया अन्धेरे में रहती है। प्रार्थीया के बीमार व उसकी दयनीय दशा देकर कर प्रार्थीया की बेटी इन्द्रा और उसके पति राजेन्द्र जो कि शिवपुरा में ही रहती है प्रार्थीया की सार सभाल करने आये तो धर्वेश और लक्ष्मी दोनो ने उनके साथ गली गलौच की और उनके खिलाफ झूठी रिर्पोट कराने थाने में गयें। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया की बेटियों को उससे मिलने घर पर नही आने देतें है और न ही उनके पास जाने देते है। एक रात दोनो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीया को बीमारी की हालत मे पलंग से नीचे गिरा दिया और मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया जिसके कारण प्रार्थीया को रात सड़क पर बितानी पड़ी। दोनो प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया के साथ जानवर जैसा व्यवहार करतें है वह दोनो प्रार्थीया को मकान बेचने का दबाव बना रहें है और मना करने पर मारपीट और यातनाऐ देते है और धमकी देते है कि तुझे मार कर आत्म हत्या बता देगे। यदि कोई प्रार्थीया की मदद करना चाहता है तो उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करतें है। दोनो के डर के कारण कोई प्रार्थीया की मदद नही करतें है। प्रार्थीया अपने घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। प्रार्थीया अपने जीवन के अन्तिम समय में नरकीय जीवन व्यतीत कर रही है। उपरोक्त घटनाकम के सम्बंध में प्रार्थी अभियुक्तों के विरूद्ध रिपोट दर्ज कराने पुलिस थाना दादाबाड़ी कोटा में गया परन्तु वहाँ प्रार्थी की सुनवाई नही की गई, जिसमें प्रार्थीया ने दिनांक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक कोटा को परिवाद पेश किया जिसमे पुलिस थाना दादाबाड़ी ने प्रार्थीया का प्रतिपक्षीगण से राजीनामा करा दिया और बाद में घर जाकर पुनः मारपीट की गई और झूठी कहानी बनाकर पुलिस थाना महिला थाना शहर में रिर्पोट करायी और अप्रार्थी कृम 3 के द्वारा प्रार्थीया पर दबाव बना जा रहा है कि वह अपने बेटे बहु को मकान मे रहने देवें वरना कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। इस कारण प्रतिपक्षीगण को मकान से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण के खाने पीने, हाथ खर्चा व दवाई आदि के लिये 10 हजार रूपये प्रतिमाह देने को कहा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के साथ मारपीट की और थाने में शिकायत करके बन्द कराने की कोशिश की गई और भरण पोषण के लिये पैसे देने से इंकार कर दिया है । प्रतिपक्षीगण से खाने पीने,हाथ खर्चा व दवाई आदि के लिये रकम नही दे रहें है बल्कि मारपीट करतें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है और झगड़ा करते है। शान्ति पूर्वक निवास नही करने देते है। इस कारण प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से शिवपुरा कोटा स्थित मकान खाली कराने व भरण पोषण हेतु 10 हजार रूपये प्रतिमाह से रकम प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिपक्षीगण का दायित्व है किवे प्रार्थीगण का भरण पोषण करें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को तलब किया जाकर प्रार्थीगण के भरण पोषण, ईलाज व अन्य खर्च के लिये दस हजार रूपये मासिक के हिसाब से प्रतिपक्षीगण से दिलाये जावे, प्रार्थीगण व उसके परिवार के साथ मारपीट नहीं करें और अप्रार्थी कम 3 पाबन्द किया जावें की वह प्रार्थीया पर नाजायज दबाव नही बनायें और प्रतिपक्षी 1 व 2 को मकान से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए, परन्तु अप्रर्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जाता है।

अप्रार्थीगण के जवाब का अवसर बंद करने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस पेश की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रतिपक्षीगण की लालसा उक्त मकान को बेचने की प्रारम्भ से ही रही है और पिता की मुत्यु के बाद दोनो प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया पर मकान बेचने का दवाब बनाने लगे लेकिन प्रार्थीया ने मकान बेचने से इंकार कर दिया जिस कारण से दोनो अभियुक्त प्रार्थीया के साथ मारपीट करतें है और खाना नही देतें है। प्रार्थीया के कमरे की लाईट बन्द कर दी है, जिसके कारण प्रार्थीया अन्धेरे में रहती है। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रार्थीया की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रही है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान सरस डेयरी क़े सामने, टावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। प्रार्थीया के भरण पोषण एवं ईलाज आदि की व्यवस्था करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा